

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2020-21

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7022129382/2020/EOA

Date: 30-Apr-2020

To,

The Secretary (Technical Education)
Govt. of Uttarakhand, Dehradun Sectt.,
4 Subhash Road, Dehradun-248001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-728004151	Application Id	1-7022129382
Name of the Institute	RUDRAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	ADITYA CHARITABLE TRUST
Institute Address	VILLAGE BHAGWANPUR, POST DANPUR, RUDRAPUR-KASHIPUR ROAD,, RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR, Uttarakhand, 263153	Society/Trust Address	B-18, KINGSTON ESTATE, ALLIANCE COLONY, KASIPUR ROAD, RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR,, 263153
Institute Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2020-21


Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (AUTO)	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (PROD)	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	CIVIL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No

Application No:1-7022129382

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : aic000548

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION



Page 1 of 3

Printed On: 28 May 2020

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	DIPLOMA	ELECTRONICS ENGINEERING	Directorate Of Technical Education, Srinagar(Garhwal)	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.
3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education****, Uttarakhand
2. **The Principal / Director,**
RUDRAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Village Bhagwanpur, Post Danpur, Rudrapur-Kashipur Road,,
Rudrapur, Udham Singh Nagar,
Uttarakhand, 263153
3. **The Secretary / Chairman,**
B-18, KINGSTON ESTATE, ALLIANCE COLONY, KASIPUR ROAD
RUDRAPUR, UDHAM SINGH NAGAR
, 263153



Application No: 1-7022129382

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By: aic000548

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Page 2 of 3


Letter Printed On: 28 May 2020

4. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.





उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)

पता: सुनेहरा रोड (निकट-के. एल. पालीटेक्निक छात्रावास), काशीपुरी -247 687
दूरभाष : 01332-200370, 200371 फैक्स 200349 Website:www.ubter.in

सेवा में,

निदेशक/प्रधानाचार्य,
रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलॉजी,
रुद्रपुर-काशीपुर रोड, पोस्ट-दनपुर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।

संस्था कोड - 105

पत्र संख्या : 170-319/उ.प्रा.शि.प./ए.आई.सी.टी.ई./सम्ब./2020-21 दिनांक 30-06-2020

विषय:- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संस्था को शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने विषयक।


महोदय,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्र सं० FNo. Northern /1-7022129382/2020/EOA दिनांक 30 अप्रैल 2020 के क्रम में आपके संस्थान को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की द्वारा सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से निम्न शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार (Extension of Approval) प्रदान की जाती है।


Course (s)	Level	Approval Intake	Shift	Duration of Course (s)	Period of Approval
Civil Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2020-21
Electrical Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2020-21
Electronics Engineering	Diploma	60	1st	03 years	2020-21
Mechanical Engineering(Auto)	Diploma	60	1st	03 years	2020-21
Mechanical Engineering(Prod.)	Diploma	60	1st	03 years	2020-21

शर्तें :-


- स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक संख्या में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में न दिये जायें।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या समयबद्ध पूर्ण करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- शासनादेश संख्या : 239/XXXi(15)G-04(सा०)/2020 सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक : 02 मई 2020 के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव हेतु संस्थानों को साफ-सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे sodium hypochlorite or chloroxyleneol or parachlorometaxyleneol (PCMX) का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों/मेजों, पूछताछ/कैश काउण्टर्स दीवारों/सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वॉटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप किया जाए।
- प्रत्येक दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा संस्थानों के फर्श, गलियारे तथा दो बार शौचालयों, सिंक आदि को सेनेटाइज किया जाए।



5. पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए। टैंक में रुके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाए।
6. सभी संस्थानों के प्रवेश द्वार पर hand sanitizer/hand wash की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्थान में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। शौचालयों में लिक्विड सोप, टिशू पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की-बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात् अपने हाथों को भलि-भांति sanitize करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।
7. संस्थानों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ-सफाई कर रख-रखाव किया जाये। किसी प्रकार की Air Conditioning का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये।
8. प्रत्येक परिसर/संस्थान, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। भीड़-भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।
9. संस्थानों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
10. मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।
11. संस्थानों में इण्टरनेट की सुचारु व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
12. कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन/परीक्षा आवेदन/परीक्षा आदि के विषय में समयबद्ध सूचित करने हेतु अभ्यर्थियों के contact number संस्थान में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
13. सभी संस्थान अभ्यर्थियों के पठन-पाठन की व्यवस्था ऑनलाईन (विभिन्न माध्यम जैसे= Google Classroom, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, You Tube Streaming इत्यादि) करायेंगे।
14. कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दौरान प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सभी संस्थान छात्रों की विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संस्था स्तर पर शिकायत निराकरण सेल की व्यवस्था करेंगे।
15. संस्थानों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
16. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो)परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के परीक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय/परिषद्/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पूरे सत्र में किसी भी कार्य दिवस में किसी भी समय संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
17. प्रत्येक ब्रांच में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या ही पढ़ायी जाएगी। पाठ्यचर्या परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध है।
18. प्रत्येक संस्थान को अपनी सूचना दिग्दर्शिका(Information Booklet) प्रकाशित करनी होगी, जिसमें संस्थान के प्रत्येक Course/Programs का विवरण एवं Infrastructural Facility का विवरण तथा संस्थान में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया जाएगा।
19. AICTE/PCI(जहां जो आवश्यक हो) मानकों के अनुसार संस्थान को "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे संस्थान को पूर्णतः रैगिंग मुक्त रखा जा सके।
20. संस्थान द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) के मानकों के अनुरूप प्रधानाचार्य/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी।




21. यदि संस्थान किसी पाठ्यक्रम को बन्द करता है अथवा सीटों की संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 22. संस्थान के अन्दर Non Technical कोर्सों प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे।
 23. संस्थान की एक अपनी वेब साईट होना अनिवार्य है, जिस पर समस्त सूचनायें अपलोड की जायेगी।
 24. यदि कोई छात्र संस्थान छोड़ता है तो ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0(जहां जो आवश्यक हो के नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
 25. टी0एफ0डब्ल्यू के अन्तर्गत जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जायेगी।
 26. संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक-2020 के अन्तर्गत आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
 27. उत्तराखण्ड शासन / निदेशालय / परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्थान द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
 28. संस्थान परीक्षाओं को सुचारू, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहिन सम्पन्न कराएगा।
 29. निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1363 / XXIV(8) / 2009-03 / 04 दिनांक 27 अक्टूबर 2009 एवं 600 / XXIV(8) / 2010-51 / 2005 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रू0 35000 / - प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है एवं डिप्लोमा फार्मसी के लिए रू0 45000 / - प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित है। तदानुसार ही छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
 30. डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में संस्था को नियमित: फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।


(हरि सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Govt. Polytechnic Campus, Adjoining Directorate of Technical Education, Vikash Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208002.
2. संयुक्त सचिव, आई0आर0डी0टी0, अपर आमवाला, देहरादून।



(हरि सिंह)
सचिव